



झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN : U40108JH2013SGC001702)

इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एचईसी, धुर्वा, राँची - 834004,

One Time Settlement Scheme 2023

बिजली बिल ब्याज माफी योजना

“योजना 30 सितम्बर 2023 तक लागू”

- 31 दिसंबर 2022 तक के बकाया बिल में लगे ब्याज की माफी का लाभ योजना के तहत दिया जा रहा है ;
- बिजली बिल ब्याज माफी योजना का लाभ उपभोक्ता अपने बकाये का भुगतान 1 से लेकर 5 आसान किश्तों में कर ले सकते हैं;
- घरेलू शहरी एवं घरेलू ग्रामीण श्रेणी के उपभोक्ता (लोड 5 kW), कृषि एवं सिंचाई (IAS-1) निजी श्रेणी के उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं ;
- बकायेदार विच्छेदित (LD), लीगल नोटिस एवं सर्टिफिकेट केस के मामले में भी योजना का लाभ दिया जा रहा है ;
- उपभोक्ता ऑनलाइन <https://suvidha.jbvn1.co.in/ots23.aspx> से भी योजना का लाभ ले सकते हैं ;
- पूर्व में ब्याज माफी योजना का लाभ ले चुके लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा ;

u

B

M